न्यायालय प्रभारी सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
उपस्थित :– राकेश कुमार–पंचम (एच०जे०एस०)
JO Code NO- UP-6155
CNR N0-UPME010090742026
कंप्यूटर पंजीकरण सं०–3193/2026
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2584/2026

मईन पुत्र हसीब उर्फ भालू .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य .....अभियोजन ।

मु०अ०सं० 152 सन् 2026
धारा –190,191(2),191(3),103(1),109(1),351(3),352बी0एन0एस0
थाना – दौराला , जिला मेरठ

24.06.2026

1– पुलिस थाना दौरालाा जिला मेरठ पर मु०अ०सं० 152 सन् 2026, अंतर्गत धारा 190,191(2),191(3),103(1),109(1),351(3),352बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त मईन पुत्र हसीब उर्फ भालू निवासी ग्राम लोहिया थाना दौराला जिला मेरठ की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है कि यह प्रार्थी अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र हैं तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी शमी अहमद के द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी के परिवार की प्रार्थी के गांव के आमिर पुत्र रियासत से रंजिश चली आ रही है। आमिर के खिलाफ थाना दौराला पर प्रार्थी के भतीजे अरहम के साथ कातिलाना हमला करने पर मु.अ.सं. 120/2026 धारा 109(1),115(2),351(2), बी.एन.एस. पंजीकृत है। जिस मुकदमे में आमिर व उसके परिजन प्रार्थी के परिजनों पर फैसले का दबाव बना रहे थे इन्कार करने पर विपक्षीगण ने प्रार्थी व उसके भाई व परिजनों की हत्या की योजना बनाई। घटना दिनांक 25.4.2026 शाम करीब 17.15 बजे की गांव की जामा मस्जिद के पास प्रार्थी व उसका भाई वसी अहमद नमाज पढने के लिए जा रहे थे, पहले से घात लगाये बैठे विपक्षीगण आमिर, शामिक पुत्रगण रियासत, शजर व मईन पुत्रगण हसीब उर्फ भालू व अदनान पुत्र खालिद ने अपने हाथों में लिए अवैध हथियारों से योजना बद्ध तरीके से एक राय होकर जान से मारने की नियत से प्रार्थी व उसके भाई वसी अहमद पर अंधाधुंध गोली चलाकर कातिलाना हमला कर दिया । वसी अहमद को दो गोली लगी जो बेहोश होकर गिर गया प्रार्थी बाल बाल बचा और जान बचाकर अपनी बहन समरजहॉ के घर में घुस गया वहां पर भी विपक्षीगण ने कई राऊंड गोलिया चलाई जिनकी गोलियों से प्रार्थी व प्रार्थी का भांजा रोमान बाल बाल बचे । भीड इकट्ठा हो गई और प्रार्थी के भतीजे साबि के शोर मचाने पर भी विपक्षीगण ने साहिब पर जान से मारने की नियत से फायर किये जो बाल बाल बचा । वसी अहमद को एसडीएस ग्लोबल हास्पिटल मोदीपुरम मेरठ में भर्ती कराया गया जो गंभीर हालत में अब आनन्द हॉस्पिटल मेरठ में भर्ती है। विपक्षीगण के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गई ।

4– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य

अभियुक्तगण की मोबाईल लोकेशन नहीं निकाली गयी हैं क्योंकि जिस समय की घटना बतायी गयी है उस समय की सभी अभियुक्तगण की फोन की लोकेशन अलग–2 हैं। मुल्जिम शजर द्वारा घटना के समय की अपनी सी.सी.टी.वी. फुटेज भी विवेचक का भेजी गयी है जिससे अभियोजन की कहानी झूठी साबित हुई है। वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोट में घटना का मुख्य आधार मु.अ.सं. 120/2026 में मुल्जिमान द्वारा दबाव बनाने का दर्शाया गया है जबकि अभियुक्त न तो इस केस में मुल्जिम है न ही वादी है और न ही गवाह है। मृतक वसी रोमान व साहिल का आपराधिक इतिहास है व इन लोगों द्वारा बदमाशों से झगडा होने के कारण मौ पर गोली चलायी जिसकी सी. सी.टी.वी. फुटेज बहुत से लोगों पर है तथा गांव के सैंकडो लोगों ने देखा है। गांव की पार्टी बाजी के कारण अभियुक्त को फंसाया गया है। अभियुक्त दिनांक 27.4.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

6– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व पुलिस अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

7– उल्लेखनीय है कि इस मामले में वादी शमी अहमद के द्वारा अभियुक्तगण आमिर, शामिक, शजर, मईन व अदनान को नामजद करते हुए एफ. आई. आर. दर्ज करायी गयी जिसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि गांव की जामा मस्जिद के पास प्रार्थी व उसका भाई वसी अहमद नमाज पढने के लिए जा रहे थे। उपरोक्त अभियुक्तगण ने अपने हाथों में लिए अवैध हथियारों से योजनाबद्ध तरीके से एक राय होकर जान से मारने की नियत से प्रार्थी व उसके भाई वसी अहमद पर अंधाधुंध गोली चलाकर कातिलाना हमला कर दिया जिसमें वसी अहमद को दो गोली लगी जो बेहोश होकर गिर गया प्रार्थी बाल बाल बच गया । वसी अहमद की बाद में मृत्यु हो गयी। उल्लेखनीय है कि वादी शमी अहमद जिसे घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है, का बयान विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा सं0–01 में अंकित किया गया है जिसमें उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करते हुए बताया कि उसके परिवार की उनके गांव के आमिर पुत्र रियासत से रंजिश चली आ रही है। आमिर के खिलाफ थाना दौराला पर 120/2026 धारा 109(1),115(2),351(2), बी.एन.एस. पंजीकृत है । उक्त मुकदमे में आमिर व उसके परिजन मेरे परिजनोंपर फैसले का दबाव बना रहे थे इन्कार करने पर विपक्षीगण ने मेरे व मेरे भाई व परिजनों की हत्या की योजना बनायी। दिनांक 25.4.2026 शाम करीब 17.15 बजे गांव की जामा मस्जिद के पास मैं तथा मेरा भाई वसी अहमद नमाज पढने के लिए जा रहे थे पहले से घात लगाये बैठे आमिर, शामिक, शजर, मईन व अदनान ने अपने हाथों में लिए अवैध हथियारों से योजना बद्ध तरीके से एक राय होकर जान से मारने की नियत से मेरे व मेरे भाई वसी अहमद पर अंधाधुंध गोली चलाकर हमला कर दिया जिससे वस अहमद को दो गोली लगी जो बेहोश होकर गिर गया मैं बाल बाल बचा और जान बचाकर अपनी बहन समरजहॉ के घर में घुस गया वहां पर भी विपक्षीगण ने कई राउंड गोलियां चलाई।विवेचक द्वारा मजीद बयान भी वादी मुकदमा का केस डायरी के पर्चा संख्या 10 में अंकित किया गया है जिसमें उसके द्वारा घटना का समर्थन करते हुए बताया कि वसी अहमद को एसडीएस ग्लोबल हॉस्पिटल मोदीपुरम मेरठ में भर्ती कराया जो गंभीर हालत होने के कारण आनन्द हॉस्पिटल मेरठ में भर्ती कराया जहॉ ईलाज के दौरान उसके भाई वसी अहमद की दिनांक 27.4.2026 को मृत्यु हो गयी। घटना के अन्य गवाहान शबी अहमद व चश्मदीद गवाह शबाहत के बयान भी विवेचक द्वारा केस डायरी में अंकित किये गये हैं उपरोक्त गवाहान ने भी घटना का समर्थन किया है। अभियोजन द्वारा प्रश्नगत अभियुक्त मईन का अन्य दो

केसों का आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त के गवाहों को डराने धमकाने, साक्ष्यों को प्रभावित करने व फरार होने की संभावना दर्शित की गयी है। अभियुक्त द्वारा कथित अपराध हत्या के प्रयास एवं हत्या से संबंधित है जो जघन्य प्रकृति का है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण के गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मईन पुत्र हसीब की ओर से मु०अ०सं० 152 सन् 2026, अंतर्गत धारा 190,191(2),191(3),103(1),109(1),351(3),352बी0एन0एस0 थाना दौराला जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 24.06.2026

(राकेश कुमार–पंचम)
प्रभारी–सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।

This is uncertified copy for information/ reference for authentic copy please to refer certified copy only.
Rajpal (P.A.)